समाचार पत्रों की कतरनें

फरवरी, 2026

द ट्रिब्यून, दिनांक-01 फरवरी 2026
पेज न०-3, कालम-3,4, 5,6

718 vehicles blacklisted over unpaid challans

DHARAMSALA, JANUARY 31

In a major enforcement drive against the habitual traffic violators, the Himachal Pradesh Transport Department has blacklisted 718 vehicles, including a large number of private Volvo buses, in Kangra, Chamba, Una and Hamirpur districts, for repeatedly flouting transport rules and failing to clear pending challans of over Rs 40 lakh.

As per the details available, 562 vehicles pertain to the 2024-25 financial year, involving more than 900 pending challans, while another 156 vehicles have been blacklisted for pending challans of the ongoing 2025-26 financial year.

This action has been initiated by the Transport Department's flying squad, North Zone, Dharamsala, which covers Kangra, Chamba, Una and Hamirpur districts. — TNS

FRANCHISE FOR SALE IN LUDHIANA

A POPULAR AND WELL-ESTABLISHED FRANCHISE RESTAURANT (WITH BAR LICENSE) IN A PREMIUM MALL IN LUDHIANA IS AVAILABLE AS THE FRANCHISEE IS RELOCATING OVERSEAS. THE OUTLET OPERATES UNDER A FRANCHISEE-OWNED, COMPANY-OPERATED (FOCO) MODEL.

पंजाब केसरी, दिनांक-01 फरवरी 2026

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का संकल्प : अनुपम

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रिज पर लगाया रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर

शिमला : राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा रिज मैदान पर आयोजित रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित मुख्यातिथि डी.सी. अनुपम कश्यप व (दाएं) शिविर के दौरान रक्तदान करते लोग। (छाया)

शिमला, 31 जनवरी (अम्बादत): राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति जिला शिमला की ओर से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने शनिवार को रिज मैदान पर रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर डी.सी. शिमला अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्यातिथि और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने विशिष्टातिथि के तौर शिरकत की। शिविर में 54 लोगों रक्तदान किया और 119 लोगों आंखों की जांच की गई।

इस अवसर पर अनुपम कश्यप कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का संकल्प है। ... को साकार करें। 1 से 31 जनवरी तक शिमला जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला शिमला ... द्वारा व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से हैल्मेट एवं सीट बैल्ट के उपयोग, नशे में वाहन न चलाने, निर्धारित ... अनुशासन जैसे विषयों पर आमजन को जागरूक किया गया।

स्कूलों, महाविद्यालयों, परिवहन चालकों तथा नागरिकों की सहभागिता से कार्यशालाएं, निरीक्षण अभियान, रोड यूजर के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर तथा गुड समैरिटन प्रोत्साहन गतिविधियां आयोजित कर जनसहभागिता को सुदृढ़ किया गया।

इस दौरान डी.सी. शिमला ने रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला विश्व मोहन देव चौहान ने कहा कि जिले में वर्ष 2025 के सड़क दुर्घटना के आंकड़े क्षेत्र में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को स्पष्ट दर्शाते हैं।

इस मौके पर ए.डी.एम. प्रोटोकॉल ज्योति राणा, ए.सी. डी.सी. देवी चंद ठाकुर, जिला चिकित्सा अधिकारी यशवंत रांटा सहित कई गण्यमान्य मौजूद रहे।

अमर उजाला, दिनांक-01 फरवरी 2026
पेज न०-6, कालम- 5,6

रिज पर 54 ने किया रक्तदान और 119 लोगों की आंखें जांचीं

शिमला के रिज मैदान में शिविर में रक्तदान करते लोग। अमर उजाला

शिमला। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शिमला ने शनिवार को रिज पर रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया।

डीसी अनुपम कश्यप ने कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि और डीआईजी संजीव कुमार गांधी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिविर में 54 लोगों ने रक्तदान किया और 119 लोगों की आंखों की जांच की गई। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का संकल्प है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक शिमला जिला में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरुकता अभियान चलाया गया है। कार्यक्रम में उपायुक्त ने रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विश्व मोहन देव चौहान ने कहा कि जिले में वर्ष 2025 के सड़क दुर्घटना के आंकड़े क्षेत्र में निरंतर प्रयास दर्शाते हैं। इस मौके पर एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा, एसी टू डीसी देवीचंद ठाकुर, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ यशवंत रांटा मौजूद रहे। ब्यूरो

हिमाचल दस्तक, दिनांक-01 फरवरी 2026
पेज न०-4, कालम- 6,7

सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं जीवन की सुरक्षा का संकल्प : अनुपम

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 के अंतर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने शनिवार को रिज मैदान पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। वहीं पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। शिविर में 54 लोगों ने रक्तदान किया और 119 लोगों की आंखों की जांच की गई। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का संकल्प है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक शिमला जिला में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरुकता अभियान चलाया गया है।

■ रिज पर सड़क सुरक्षा माह पर लगाए रक्तदान व नेत्र जांच शिविर के दौरान बोले उपायुक्त
■ 119 लोगों ने करवाई आंखों की जांच व 54 ने किया रक्तदान

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला शिमला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला द्वारा व्यापक जन जागरुकता गतिविधियां आयोजित की गईं। स्कूलों, महाविद्यालयों, परिवहन चालकों तथा नागरिकों की सहभागिता से कार्यशालाएं, निरीक्षण अभियान, रोड यूजर के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर तथा गुड समैरिटन प्रोत्साहन गतिविधियां आयोजित कर जनसहभागिता को सुदृढ़ किया गया।

उपायुक्त ने रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला विश्व मोहन देव चौहान ने कहा कि जिला में वर्ष 2025 के सड़क दुर्घटना के आंकड़े क्षेत्र में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को स्पष्ट दर्शाते हैं। जिला शिमला में इस अवधि के दौरान 268 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 102 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 436 लोग घायल हुए। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के मुताबिक इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में व्यावहारिक और मानवीय चूक शामिल है। इसमें तेज गति, गलत ओवरटेकिंग, नशे की अवस्था में वाहन संचालन, वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल तथा लेन अनुशासन का उल्लंघन शामिल रहा जो यह दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा प्रशासनिक प्रयासों के साथ-साथ नागरिक अनुशासन पर भी निर्भर करती है। इस अवसर पर एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा, एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशवंत रांटा सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दिव्य हिमाचल, दिनांक-01 फरवरी 2026
पेज न०-2, कालम- 1,2,3,4,5

54 लोगों ने किया रक्तदान, 119 की जांची आंखें

सड़क सुरक्षा अभियान के अंतिम दिन रिज पर लगाया शिविर; उपायुक्त बोले, 'सड़क सुरक्षा जीवन की सुरक्षा का संकल्प'

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 के जिला प्रशासन और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने शनिवार को रिज पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर लगाया। इस मौके पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्यातिथि और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिविर में 54 लोगों ने रक्तदान किया और 119 लोगों की आंखों की जांच की गई। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का संकल्प है। अराईव अलाईव को साकार करें। 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक शिमला जिला में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला शिमला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला द्वारा व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हेलमेट एवं सीट-बेल्ट के उपयोग, नशे में वाहन न चलाने, निर्धारित गति सीमा के पालन तथा सही लेन अनुशासन जैसे विषयों पर आमजन को जागरूक किया। स्कूलों, महाविद्यालयों, परिवहन चालकों तथा नागरिकों की सहभागिता से कार्यशालाएं, निरीक्षण अभियान, रोड यूजर के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर तथा गुड समैरिटन प्रोत्साहन गतिविधियां आयोजित कर ...

शिमला: रिज पर रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ करते मुख्यातिथि

किया गया। उपायुक्त ने रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। इस ... एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, जिला चिकित्सा अधिकारी डाक्टर यशवंत रोटा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।

हादसों में 102 लोगों की मौत

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला विश्व मोहन देव चौहान ने कहा कि जिला में वर्ष 2025 के सड़क दुर्घटना के आंकड़े क्षेत्र में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को स्पष्ट दर्शाते हैं। जिला शिमला में इस अवधि के दौरान 268 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 102 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 436 लोग घायल हुए हैं। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के मुताबिक इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में व्यावहारिक और मानवीय चूक शामिल है। इनमें तेज गति, गलत ओवरटेकिंग, नशे की अवस्था में वाहन संचालन, वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल तथा लेन अनुशासन का उल्लंघन शामिल रहा, जो यह दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा प्रशासनिक प्रयासों के साथ नागरिक अनुशासन पर भी निर्भर करती है।

शिमला: रिज पर रक्तदान और नेत्र जांच शिविर के दौरान उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी व अन्य

ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से

दैनिक जागरण, दिनांक-01 फरवरी 2026

शिविर में 54 लोगों ने किया रक्तदान, 119 की आंखें जांची

रिज मैदान में लगे शिविर में रक्तदान करते हुए लोग • जागरण

जागरण संवाद केंद्र, शिमला : राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति शिमला की ओर से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने शनिवार को रिज मैदान पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर लगाया गया। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्यातिथि और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिविर में 54 लोगों ने रक्तदान किया और 119 लोगों की आंखों की जांच की गई।

उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का संकल्प है । आरटीओ शिमला विश्व मोहन देव चौहान ने कहा कि जिला में वर्ष 2025 के सड़क दुर्घटना के आंकड़े क्षेत्र में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को स्पष्ट दर्शाते हैं।

द ट्रिब्यून, दिनांक-01 फरवरी 2026
पेज नं-3, कालम-4, 5,6,7

Road etiquette a pledge to safeguard lives: Shimla DC

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, JANUARY 31

Shimla Deputy Commissioner (DC) Anupam Kashyap today appealed to the residents to realise the vision of 'arriving alive' and said that road safety was not just about following the rules but a pledge to safeguard lives.

The DC said this during a one-day blood donation and eye check-up camp which was held here today at the Ridge on the last day of the National Road Safety Month. Speaking on the occasion, the DC said that the district observed National Road Safety Month from January 1 to January 31 during which various public awareness activities were organised across the district.

"Through these programmes, people were sensitised about road safety measures such as use of helmets and seat belts, avoiding drunk driving, adhering to prescribed speed limits, and maintaining proper lane discipline. Additionally, good samaritan encouragement activites and eye check-up camps were also organised with the assistance of schools, colleges, transport operators, and the people," he said.

The Shimla DC attends a blood donation camp as part of National Road Safety Month.

As many as 54 persons donated blood while 119 received an eye check-up. The blood donors were also honoured by the DC.

Providing information about the road accident statistics of the district, Regional Transport Officer (RTO), Shimla, Vishav Mohan Dev Chauhan, stated that 2025's data of road accidents in the district clearly indicate the need for sustained and continuous efforts in the district. "During this period, as many as 268 road accidents were reported in the district, in which about 102 persons lost their lives while about 436 were injured. Data reveals that behavioural and human errors such as over-speeding, wrong overtaking, driving under the influence of alcohol, using mobile phones while driving, and violation of traffic rules are the major reasons behind accidents. This shows that road safety not just depends on the administration but also on the people," he said.

हिमाचल दस्तक, दिनांक-02 फरवरी 2026
पेज न०-15, कालम- 7

कुल्लू में वाहनों की पासिंग 7 फरवरी से

कुल्लू। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कुल्लू द्वारा फरवरी के लिए वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आरटीओ कुल्लू राजेश भंडारी ने बताया कि आरटीओ कुल्लू में 7, 17 और 24 फरवरी को वाहन पासिंग और 25 फरवरी को ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन होगा। आरएलए कुल्लू में 18 फरवरी को ड्राइविंग टेस्ट होंगे। उन्होंने बताया कि आरएलए मनाली में 5 व 23 फरवरी को वाहनों की पासिंग और 6 फरवरी को ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। बंजार में 19 फरवरी को वाहन पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक-04 फरवरी 2026
पेज न०-09, कालम- 4,5,6,7,8

लगातार बस हादसों के बाद सिरमौर ट्रैफिक पुलिस सख्त

चालकों-परिचालकों के लाइसेंस की गहन जांच

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ नाहन

जिले में लगातार सामने आ रही बस दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सिरमौर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में हुई जीत कोच बस दुर्घटना और एचआरटीसी बस हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली और यात्री बसों की चेकिंग के साथ-साथ चालक और परिचालकों के लाइसेंस की जांच भी सख्त कर दी है। मंगलवार को ट्रैफिक हवलदार विक्रम ठाकुर की अगुआई में नाहन-शिमला मार्ग पर आईटीआई के समीप विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान 12 से 13 बसों के चालकों और परिचालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस ने चालकों और परिचालकों को बस संचालन के दौरान सीट बेल्ट पहनने, निर्धारित वर्दी में रहने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही पुलिस टीम ने बसों में चढ़कर स्कूली बच्चों और यात्रियों से भी अपील की कि यदि कोई चालक या परिचालक चलती बस में मोबाइल का प्रयोग करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

अभियान के दौरान बस चालकों को कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति में अतिरिक्त सतर्कता बरतने तथा किसी भी तरह का जोखिम न उठाने की सलाह भी दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांच की गई सभी बसों में किसी भी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेजी खामी नहीं पाई गई। इसे सड़क सुरक्षा क्लब और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त रूप से चलाए जा रहे जागरुकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। वहीं जिला सिरमौर पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए चालक पूरी तरह सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं।

अमर उजाला, दिनांक-06 फरवरी 2026
पेज न०-02, कालम- 1,2,3,4,5

चौपहिया वाहन सड़क हादसों का बड़ा कारण, दोपहिया वाहन अधिक शिकार

रिपोर्ट में खुलासा : कार, जीप और टैक्सी से 801 दुर्घटनाएं, शाम छह से रात नौ बजे के बीच हो रहे अधिक हादसे

शिमला। प्रदेश में कार, जीप और टैक्सी सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह बन रही हैं। दोपहिया वाहन हादसों का अधिक शिकार हो रहे हैं। 2025 की इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

बीते एक साल में कार, जीप और टैक्सी से 801 हादसे हुए हैं, जबकि 485 दोपहिया वाहन हादसों के शिकार हुए। रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार ट्रकों से साल 2025 में 224, बसों से 71, टेंपो और ट्रैक्टर से 58, डंपर से 17 हादसे हुए। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शाम छह से रात नौ बजे के बीच सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं।

485 दोपहिया वाहन हुए हादसे के शिकार

अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी पुलिस

428 रैश ड्राइविंग, 359 तेज रफ्तार व खतरनाक ओवर टेकिंग की वजह से हुए 110 हादसे

रिपोर्ट में इस समय अंतराल को डेंजर विंडो करार दिया गया है। प्रदेश पुलिस ने हादसों में कमी लाने के लिए इस दौरान विशेष गश्त, इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती और तकनीकी निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण में भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस रिकॉर्ड में 979 मामलों में कोई ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज ही नहीं हुआ, रैश ड्राइविंग (428), तेज रफ्तार (359) और ओवरटेकिंग (110) प्रमुख कारण रहे। ब्यूरो

अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी

ईडीएआर से जुटाए डाटा का विश्लेषण कर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं कम करने का प्रयास किया जाएगा। शाम छह से नौ बजे के बीच सबसे अधिक हादसे हो रहे हैं, इस दौरान जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। आंकड़ों के आधार पर हादसा संभावित स्थानों की पहचान कर वहां पुलिस तैनात की जाएगी, ताकि हादसों से पहले ही जान बचाई जा सके। - **अशोक तिवारी, पुलिस महानिदेशक**

अमर उजाला, दिनांक-06 फरवरी 2026
पेज न०-05, कालम- 1,2,3,4

यातायात नियम तोड़ने पर 11 स्कूल बसों का चालान

बद्दी पुलिस ने स्कूली बसों का किया औचक निरीक्षण; 53 बसों की जांच की

बद्दी (सोलन)। स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बद्दी पुलिस ने बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में विशेष सुरक्षा अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 11 निजी बसों के चालान किए गए।

बीबीएन क्षेत्र में चलाए अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर 53 स्कूली बसों की जांच की। इस दौरान सुरक्षा उपकरणों, सड़क सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों के पालन का बारीकी से आकलन किया गया।

नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान अलग-अलग श्रेणियों में 11 चालान किए गए। इनमें बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के एक चालान, निर्धारित वर्दी के बिना वाहन चलाने पर दो चालान और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर आठ चालान शामिल हैं। एसपी बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

बद्दी पुलिस कर्मचारी स्कूल बसों की जांच करते हुए। स्रोत- पुलिस विभाग

भविष्य में भी पूरे क्षेत्र में इस तरह की जांच लगातार जारी रहेगी

उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल प्रबंधन, बस संचालकों और चालकों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

भविष्य में भी पूरे क्षेत्र में इस तरह की जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जा सके। संवाद

बाइक खाई में गिरी, बड़े भाई की मौत, छोटा घायल

नाहन/हरिपुरधार (सिरमौर)। जिला सिरमौर के हरिपुरधार में वीरवार को दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक बाइक के खाई में गिर जाने के बाद एक भाई की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बडोल पंचायत के दो सगे भाई अरुण (22) और रमन (18) सोलन से अपने घर लालग आ रहे थे। हरिपुरधार से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर साजखिल के समीप शाम को उनकी बाइक खाई में गिर गई। हादसे में बड़े भाई अरुण की मौत हो गई है जबकि रमन 18 घायल हुआ है। घायल रमन को नाहन रेफर किया गया है। एसपी निश्चिंत नेगी ने घटना की पुष्टि की। संवाद

हिमाचल दस्तक, दिनांक-08 फरवरी 2026
पेज नं-09, कालम- 5,6

28 वाहनों के चालान कर वसूला 3.50 लाख जुर्माना

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ बीबीएन

■ बीबीएन में आरटीओ नालागढ़ की कार्रवाई
■ बिना दस्तावेजों के चल रहे 2 वाहन किए जब्त

आरटीओ नालागढ़ द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में यातायात नियमों को धत्ता बताने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरटीओ की टीम ने खामियां पाए जाने की सूरत में वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूला है। बीबीएन में आरटीओ नालागढ़ ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की। इस विशेष अभियान में करीब 50 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान नियम तोड़ने पर 28 वाहनों के चालान काटे गए और कुल 3.50 लाख का जुर्माना वसूला गया।

वहीं 2 वाहन मौके पर ही जब्त किए गए। परिवहन विभाग का कहना है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने और दस्तावेज पूर्ण न करने वाले वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जानकारी के अनुसार आरटीओ नालागढ़ विपिन गुप्ता की अगुआई वाली टीम ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के अलग-अलग हिस्सों में जाकर वाहनों पर कार्रवाई की और अनियमितताएं पाए जाने पर वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काटे। अभियान के दौरान दो बसों को जब्त किया गया, जो बिना दस्तावेजों और टैक्स के सड़कों पर दौड़ रही थी। इस दौरान जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी, उन्हें रोका गया और चालान की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने साफ किया कि अब किसी भी वाहन को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और वैध दस्तावेजों के चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आरटीओ विपिन गुप्ता ने बताया कि बीबीएन क्षेत्र में नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि वे फिटनेस, परमिट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसे जरूरी दस्तावेज पूरे रखें अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक-08 फरवरी 2026
पेज न०-08, कालम- 2,3,4,5,6

अब तक परिवहन विभाग के पास 252 ई-वाहन पंजीकृत

बिलासपुर में लोगों की इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुचि बढ़ी

हिमाचल दस्तक ■ बिलासपुर

■ प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवा रही ई-वाहन

प्रदेश सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन वाहनों को सरकारी विभागों के साथ भी अटैच किया जा रहा है। वहीं, आम लोगों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लगातार रुचि बढ रही है।

इसका अंदाजा बिलासपुर में परिवहन विभाग के आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है। अब तक परिवहन विभाग के पास कुल 252 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। यह न केवल स्वच्छ परिवहन की दिशा में बड़ा संकेत है, बल्कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के सरकार के लक्ष्य को भी मजबूती देता है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर में परिवहन विभाग के पास ई-वाहनों में 165 एलएमवी कारें, 54 ई.ऑटो, 22 ई-टैक्सी, 9 ई-गुड्स वाहनए एक ई.मोपेड और एक ई-बस पंजीकृत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि निजी उपयोग के साथ.साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी ई-व्हीकल तेजी से स्वीकार किए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार की प्राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी पर 50 प्रतिशत अनुदान न केवल युवाओं को स्वरोजगार दे रहा है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में इन वाहनों की तैनाती से ई-मोबिलिटी को और बढ़ावा मिल रहा है। परिवहन विभाग का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी, ईंधन पर निर्भरता घटने और कार्बन उत्सर्जन कम होने जैसे प्रत्यक्ष लाभ सामने आएंगे। साथ ही पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ई-वाहन आम जनता के लिए किफायती और टिकाऊ विकल्प बन रहे हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बिलासपुर में ई.वाहनों का बढ़ता पंजीकरण इस दिशा में सकारात्मक संकेत देता है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार और सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं जिले में ई.वाहनों की संख्या को और गति देंगी।

> बिलासपुर जिले में अब तक परिवहन विभाग के पास 252 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा ई-टैक्सी पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है तथा इन्हें सरकारी विभागों में अटैच भी किया जा रहा है।
>
> -राजेश कौशल
> क्षेत्रीय परिवहन
> अधिकारी बिलासपुर।

अमर उजाला, दिनांक-18 फरवरी 2026
पेज न०-04, कालम- 2,3,4

स्वरोजगार

परिवहन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए

350 परमिट मंजूर, 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर, बसें चला सकेंगे निजी ऑपरेटर

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूटों पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों को चलाया जा सकेगा। इस संबंध में परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने निज़ी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट को मंजूरी दी है।

इसलिए स्टेज कैरिज परमिट संबंधित आरटीए की ओर से सफल आवेदक के पक्ष में या तो ड्रॉ के जरिये या सीधे अलॉटमेंट से आवंटित किए जा रहे हैं, जहां सिर्फ एक ही आवेदन मिला है। कुछ आरटीए में आवंटन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

बता दें, निदेशालय में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और निजी ऑपरेटरों की ओर से निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूट पर चलाने के लिए 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों की खरीद और ऑपरेशन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब मंगलवार को परिवहन विभाग ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

जहां सिर्फ एक ही आवेदन वहां सीधे ही अलॉटमेंट

ऑपरेटरों के लिए ये शर्तें रहेंगी लागू : निदेशालय के अनुसार निजी ऑपरेटर को 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर उन्हें आवंटित स्टेज कैरिज परमिट पर चलाने की इजाजत होगी। इस श्रेणी की गाड़ियों पर दो दरवाजे देने की शर्त लागू नहीं होगी। ऑपरेटर 18 सीटर बसें भी चला सकते हैं। हालांकि, इस श्रेणी की बसों पर डबल डोर की शर्त पूरी तरह लागू होगी। चाहे वह टेंपो ट्रैवलर हो या बस, ड्राइवर को छोड़कर बैठने की क्षमता 18 यात्रियों से ज्यादा नहीं होगी। कोई भी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इन स्टेज कैरिज परमिट के तहत 18 से ज्यादा सीटों वाली किसी भी गाड़ी के पंजीकरण या संचालन की इजाजत नहीं देगा। कोई भी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या प्राधिकरण किसी ऑपरेटर पर सिर्फ 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर खरीदने के लिए जोर नहीं डालेगा या मजबूर नहीं करेगा। ऑपरेटर को बाजार में मौजूद किसी भी निर्माता की 18 सीटर बस खरीदने की आजादी होगी, बशर्ते वह विभाग की बताई गई शर्तों का पालन करें।

निर्देशों का सख्ती से करना होगा पालन

सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों या प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तुरंत ऑपरेटरों को जरूरी निर्देश दें, ताकि किसी भी तरह की उलझन या देरी से बचा जा सके। इससे यह भी पक्का होगा कि जो ऑपरेटर टेंपो ट्रैवलर के बजाय किसी भी कंपनी की बनाई 18 सीटर बसें खरीदना चाहते हैं, वे बिना समय बर्बाद किए ऐसा कर सकें। इन निर्देशों का सभी आरटीए, आरटीओ को सख्ती से और एक जैसा पालन करना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने निर्देश जारी किए हैं।

अमर उजाला, दिनांक-24 फरवरी 2026
पेज न०-03, कालम- 1,2,3,4

टैक्सी परमिट की वैधता 12 से बढ़ाकर की 15 साल

केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र ने तीन साल बढ़ाई

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश के 70 हजार टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता को अब 15 साल कर दिया है। पहले यह वैधता 12 साल की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

इस फैसले को लेकर केंद्र ने जनता से 30 दिनों में आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। एक अप्रैल से इसे लागू किया जाना है। केंद्र सरकार की ओर से

70 हजार के करीब हिमाचल के टैक्सी चालकों को राहत

हिमाचल सरकार को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। हिमाचल में करीब 70 हजार टैक्सी ऑपरेटर हैं। प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर परमिट की वैधता बढ़ाने को लेकर लगातार छह महीने से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिल रहे थे।

उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर टैक्सी ऑपरेटरों की दिक्कतों से अवगत करवाया था। गडकरी ने उन्हें जल्द परमिट की वैधता को बढ़ाने का आश्वासन दिया था। अब ऑपरेटरों को बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा। परिवहन विभाग में 24,48,291 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें 70 हजार टैक्सियां शामिल हैं। कई टैक्सियों की कीमत 20 से 30 लाख है। बैंक से लोन लेकर ज्यादातर ऑपरेटर टैक्सी लेते हैं।

आठ से 10 साल में बैंक का लोन चुका पाते हैं। जब गाड़ी कमाई करना शुरू करती है तो परमिट खत्म हो जाता है। परमिट की अवधि बढ़ने से उन्हें राहत मिलेगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से हिमाचल के हजारों ऑपरेटर लाभान्वित होंगे। ऑपरेटरों की मांग केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उठाई थी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक-26 फरवरी 2026
पेज न०-5, कालम- 1,2,3,4

परिवहन विभाग को मिली 93 करोड़ की स्पेशल सेंट्रल ग्रांट

शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

हिमाचल परिवहन विभाग को केंद्र से 93 करोड़ रुपये की स्पेशल सेंट्रल ग्रांट मिली है। परिवहन विभाग को यह ग्रांट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना और पुराने व अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप करने उद्देश्य पर प्राप्त हुई है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने एक साल में 1 हजार करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। विभाग ने जनवरी 2023 से 23 फरवरी 2026 तक विभिन्न स्रोतों से 2744.02 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। जबकि पिछली सरकार के तीन वर्षीय कार्यकाल में यह 1564.76 करोड़ था। विभाग द्वारा राजस्व में 1180 करोड़ यानी करीब 75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री

▮ एटीएस, अनुपयोगी वाहनों के स्क्रैप को मिली ग्रांट

▮ एक साल में 1 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित

नए वाहनों का होगा स्थायी पंजीकरण

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भविष्य में नए वाहनों का स्थायी पंजीकरण डीलर स्तर पर ही किया जाए, इस संबंध में एक नई कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है। जिसके तहत अधिकृत मोटर वाहन डीलरों को ही नए वाहनों का पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था लागू होने पर नए वाहन मालिकों को वाहन डिलीवरी के साथ ही स्थायी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई शहरों में थ्री व्हीलर्स के परमिट की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में पिछले 20 सालों से थ्री व्हीलर के परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए मेडिकल प्रमाणन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा।

विंटेज वाहनों का पंजीकरण शुरू

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में विंटेज वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहन जो मूल रूप से सुरक्षित हैं, उनका पंजीकरण होगा। उन्होंने कहा कि इनके पंजीकरण की अवधि 10 साल की होगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में परमिट की सेवाएं अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संचालित हो रही हैं। कई सेवाओं में ऑटो अप्रूवल सिस्टम लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2023 से 23 फरवरी तक फैंसी नंबरों की ई-नीलामी के माध्यम से सरकार को 80.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार स्वचालित, सेंसर आधारित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि हरोली में स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक दो महीनों में शुरू होगा जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष पांच अन्य स्थानों पांवटा साहिब, नालागढ़, घुमारवीं, कांगड़ा और हमीरपुर में ऐसे ट्रैक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से ट्रकों के परमिट की अवधि 15 साल करने की मांग रखी जाएगी।

अमर उजाला, दिनांक-26 फरवरी 2026
पेज नं-02, कालम-2,3,4,5

डीएल के लिए डॉक्टर करेंगे विभाग के पोर्टल पर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड

उप मुख्यमंत्री बोले-पचास साल पुरानी विंटेज गाड़ियों का अलग से होगा पंजीकरण

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और नवीनीकरण के लिए लोग स्वयं मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सकेंगे। प्रमाणित डॉक्टर ही मेडिकल कर सारथी पोर्टल पर इन प्रमाण पत्रों को अपलोड करेंगे। लाइसेंस में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में अब 50 साल पुरानी गाड़ियों को आधिकारिक पहचान मिलेगी। इन गाड़ियों को रोजाना व व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पुराने और ऐतिहासिक महत्व के वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। इन गाड़ियों को वी वन श्रृंखला की अलग नंबर की प्लेट जारी होगी। गाड़ियों को पहचान दिलाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेसवार्ता में कहा कि नए वाहनों का डीलर स्तर पर होगा स्थायी पंजीकरण होगा। इससे लोगों को कार्यालय आने से छुटकारा मिल सकेगा। प्रदेश में अब थ्री व्हीलर परमिट भी जारी होंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों को मजबूती के साथ लागू किए जाने पर केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग को 93 करोड़ को प्रोत्साहन राशि जारी की है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में जल परिवहन सेवाएं शुरू की जा रही है। इसको लेकर परिवहन विभाग और केंद्र सरकार के बीच 68 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया गया है। जल परिवहन को लेकर तत्तापानी-नयनादेवी और गोविंद सागर (बंगाणा) दो रूट तय किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नए वाहनों का स्थायी पंजीकरण डीलर स्तर पर ही किया जाएगा। इस संबंध में एक नई कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है। यह व्यवस्था लागू होने पर नए वाहन मालिकों को वाहन डिलीवरी के साथ ही स्थायी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अस्थायी पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने की शक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि फर्जी प्रमाण पत्र अपलोड न हो सके। हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग में कई सेवाओं में ऑटो अप्रूवल सिस्टम लागू किया जा चुका है।

स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक किए जाएंगे विकसित

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली में स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के अगले दो महीनों में शुरू होने की संभावना है। इस वर्ष पांच अन्य स्थानों पर पांवटा साहिब, नालागढ़, घुमारवीं, कांगड़ा और हमीरपुर में ऐसे ट्रैक स्थापित करने का लक्ष्य है। इससे राज्य में लाइसेंसिंग प्रणाली का व्यापक और आधुनिक रूपांतरण सुनिश्चित होगा तथा सड़क सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। परिवहन विभाग ने जनवरी 2023 से 23 फरवरी 2026 के दौरान विभिन्न स्रोतों से 2744.02 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, पिछली सरकार के तीन वर्षीय कार्यकाल में यह 1564.76 करोड़ था।

नेशनल परमिट की वैधता का मुद्दा केंद्र से उठाएंगे

मुकेश अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में ट्रकों के नेशनल परमिट की वैधता 15 साल करने का मामला केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालही में केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता 12 से बढ़ाकर 15 साल की है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में 365 बस रूटों के लिए 4000 लोगों ने आवेदन किए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही आवेदकों को रूट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2257 वाहन स्क्रैप किए गए हैं। मोबाइल फिटनस के तहत 14,016 वाहनों की फिटनेस की गई। हिमाचल में परिवहन विभाग की प्रवर्तन (इनफोर्समेंट) प्रणाली को लागू किया है।

***